2025:CGHC:15977

प्रकाशनार्थ अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

विविध अपील (क्षतिपूर्ति) क्रमांक 1106/2019

न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, द्वाराः शाखा प्रबंधक, शाखा कार्यालय– अंबिका ट्रांसपोर्ट, अंबिका पेट्रोल पंप परिसर, अम्बेडकर नगर चौक, बनारस रोड, अंबिकापुर, जिलाः सरगुजा छत्तीसगढ़

––– अपीलार्थी

विरुद्ध

1. शिवमंगल राजवाड़े पिता दिलभरन राजवाड़े, आयु लगभग 30 वर्ष, जाति– रजवार, व्यवसाय– व्यापार, निवासी ग्राम खोपा, ओ.पी. करंजी, पुलिस थाना– बिश्रामपुर, तहसील व जिलाः सरगुजा, छत्तीसगढ़

2. चंद्रावती देवी पति शिवमंगल राजवाड़े, आयु लगभग 28 वर्ष, गृहिणी, निवासी ग्राम खोपा, ओ.पी. करंजी, पुलिस थाना– बिश्रामपुर, तहसील व जिलाः सरगुजा छत्तीसगढ़

3. दिलभरन राजवाड़े पिता बहोरन राजवाड़े, आयु लगभग 55 वर्ष, निवासी ग्राम खोपा, ओ.पी. करंजी, पुलिस थाना बिश्रामपुर, तहसील व जिलाः सरगुजा छत्तीसगढ़

4. सुशीला पति दिलभरन राजवाड़े आयु लगभग 52 वर्ष , गृहिणी, निवासी– ग्राम खोपा, ओ.पी. करंजी, पुलिस थाना बिश्रामपुर, तहसील व जिलाः सरगुजा छत्तीसगढ़

5. पूनम चंद शर्मा पिता भागीरथी प्रसाद शर्म, आयु लगभग 57 वर्ष, व्यवसाय– सेवा, निवासी ग्राम सलका, पुलिस थाना भटगांव, जिलाः सूरजपुर छत्तीसगढ़ **(वाहन स्वामी)**

6. पूरनराम देवांगन पिता रामभरोस देवांगन, आयु लगभग 51 वर्ष, निवासी– ग्राम अधिना साल्का, पुलिस थाना भटगांव, जिलाः सूरजपुर छत्तीसगढ़ **(वाहन चालक)**

––– उत्तरवादीगण

अपीलार्थी की ओर से	:	श्री दशरथ गुप्ता, अधिवक्ता
उत्तरवादी क्रमांक 5 व 6 की ओर से	:	श्री ऋषिकांत महोबिया, अधिवक्ता की ओर से श्री दिव्यानंद पटेल, अधिवक्ता

माननीय न्यायमूर्ति श्री संजय कुमार जायसवाल, न्यायाधीश

बोर्ड पर आदेश

WebCopy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

04.04.2025

1. यह दावा प्रकरण क्रमांक 98/2017 में विद्वान द्वितीय अतिरिक्त मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, सूरजपुर (छ.ग.) द्वारा दिनांक 20.02.2019 को पारित अधिनिर्णय के विरुद्ध प्रस्तुत बीमाकर्ता की अपील है।

2. इस प्रकरण में दुर्घटना दिनांक 11.08.2017 को लगभग 5:00 बजे घटित हुई, जब मृतक रामप्रताप (लगभग 05 वर्ष का छात्र) पंजीयन क्रमांक CG 15 AD 0553 वाले वाहन से उतरकर अपने घर जाने के लिए सड़क पार कर रहा था, उक्त वाहन चालक अर्थात उत्तरवादी क्रमांक 6 ने वाहन को तेज गति एवं उपेक्षापूर्वक चलाया और रामप्रताप को टक्कर मारने के बाद उसे कुचल दिया, जिसके परिणामस्वरूप उसे गंभीर चोटें आईं तथा घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई। मृतक के माता–पिता और दादा–दादी दावाकर्तागण ने अधिकरण के समक्ष 15,50,000/– रुपए के क्षतिपूर्ति का दावा करते हुए दावा आवेदन प्रस्तुत किया। विद्वान अधिकरण ने अभिलेख पर प्रस्तुत साक्ष्यों के गहन संवीक्षा के उपरांत दावाकर्तागण के पक्ष में आवेदन की तिथि से लेकर उसकी वसूली तक 9% प्रति वर्ष की दर से ब्याज सहित कुल 4,80,000/– रुपए का क्षतिपूर्ति प्रदान करने का आदेश पारित किया। आक्षेपित निर्णय पारित करते हुए अधिकरण ने क्षतिपूर्ति के संदाय का दायित्व बीमा कंपनी पर अधिरोपित कर दिया है, जिसके विरुद्ध बीमा कंपनी द्वारा वर्तमान अपील प्रस्तुत की गई है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3. अपीलार्थी बीमा कम्पनी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि उक्त वाहन का उपयोग स्कूली बच्चों को लाने–ले जाने के लिए किया जा रहा था, जिसके लिए कोई परमिट नहीं था। अतः बिना परमिट के वाहन चलाना बीमा शर्तों का उल्लंघन है। उनका तर्क है कि अधिकरण द्वारा बीमा कम्पनी पर साक्ष्य का भार अनुचित है, क्योंकि परमिट के अभाव में वाहन चलाने से बीमा शर्तों का उल्लंघन हुआ है। ऐसी स्थिति में बीमा कम्पनी किसी भी क्षतिपूर्ति के संदाय हेतु उत्तरदायी नहीं है। अतः बीमा कम्पनी को उसके दायित्व से मुक्त करते हुए अपील स्वीकार करने का अनुरोध किया गया है।

4. उत्तरवादी क्रमांक 5 व 6 की ओर से विद्वान अधिवक्ता का तर्क कि अधिकरण द्वारा पारित निर्णय साक्ष्य के उचित विवेचन पर आधारित है तथा इसमें किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं है। अपीलार्थी बीमा कम्पनी का तर्क स्वीकार्य नहीं है। अतः अपील खारिज किए जाने योग्य है।

5. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना गया तथा अभिलेख का परिशीलन किया गया।

6. इस प्रकरण में मृतक रामप्रताप 5 वर्षीय छात्र था। दावाकर्तागण की ओर से मृतक के पिता शिवमंगल राजवाड़े एवं घटनास्थल पर उपस्थित साक्षी मोहितराम राजवाड़े का परीक्षण कराया गया, जबकि अपीलार्थी बीमा कंपनी की ओर से अन्वेषक अनूप मेहता एवं शाखा प्रबंधक बी.आर. भगत का परीक्षण कराया गया। बीमा कंपनी की ओर से अपराध कारित करने वाला वाहन का पंजीयन प्रमाण पत्र प्रदर्श–एन.ए. 02, चालक पूरनराम का ड्राइविंग लाइसेंस प्रदर्श–एन.ए. 03 एवं बीमा प्रदर्श एन.ए. 04 प्रस्तुत किया गया। उभयपक्ष के संपूर्ण अभिवचनों एवं साक्ष्यों से स्पष्ट है कि घटना के समय अपराध कारित करने वाला वाहन का उपयोग स्कूली छात्रों को लाने–ले जाने के लिए किया जा रहा था। घटना दिनांक को जब 5 वर्षीय रामप्रताप अपराध कारित करने वाला वाहन से उतरकर जा रहा था, तभी दुर्घटना घटित हुई। बीमा कंपनी के साक्षियों, अन्वेषक अनूप मेहता और शाखा प्रबंधक बी.आर. भगत के अनुसार, उक्त वाहन के लिए परमिट की आवश्यकता थी, परंतु कोई परमिट नहीं था। अपराध कारित करने वाला वाहन के पंजीकृत स्वामी एवं वाहन चालक ने अपने जवाब में अपराध कारित करने वाला वाहन के परमिट की उपलब्धता के बारे में अभिवचन नहीं किया है। बीमा कंपनी के साक्षियों का भी प्रतिपरीक्षण कराया गया है, परंतु ऐसा कोई सुझाव नहीं दिया गया है कि अपराध कारित करने वाला वाहन का परमिट उपलब्ध था।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

7. अमृत पॉल सिंह व अन्य विरुद्ध टाटा एआईजी जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड व अन्य (2018) 7 एससीसी 558 में प्रतिवेदित प्रकरण में, परमिट की आवश्यकता और वाहन स्वामी के प्रमाण का भार निर्धारित किया गया है। इस संबंध में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने उक्त निर्णय के पैराग्राफ–24 में निम्नानुसार अवधारित किया है:–

> "24. इस प्रकरण में, अभिलेख पर प्रस्तुत साक्ष्य से यह स्पष्ट रूप से प्रदर्शित होता है कि दुर्घटना के समय वाहन के पास परमिट नहीं था। अपीलार्थीगण का यह तर्क था कि वाहन दुर्घटना में शामिल नहीं था। इसके अतिरिक्त, उन्होंने यह नहीं बताया कि वाहन का अस्थायी परमिट था या किसी अन्य प्रकार का परमिट था। अधिनियम की धारा 66 के अधीन जो अपवाद बनाए गए हैं, उन पर बल देने की आवश्यकता नहीं है, उन्हें अभिवचन दी जानी चाहिए एवं साबित किया जाना चाहिए। दायित्व से मुक्ति पाने के लिए तर्क के दौरान अपवादों का सहारा नहीं लिया जा सकता है। बिना परमिट के लोक स्थल पर वाहन का उपयोग करना एक मूल विधान का उल्लंघन है। धारा 66 में बनाए गए अपवादों की श्रृंखला के दृष्टिगत हम ऐसा सोचने के लिए तैयार हैं। उक्त स्थितियों को लाइसेंस की अनुपस्थिति या कूटरचित लाइसेंस या किसी अन्य प्रकार के वाहन के लिए लाइसेंस या,

उस प्रकरण के लिए, अधिक संख्या में यात्रियों को ले जाने की शर्त के उल्लंघन सहित नहीं जोड़ा जा सकता है। अतः, स्वर्ण सिंह (पूर्वोक्त) और लखमी चंद (पूर्वोक्त) में प्रतिपादित सिद्धांत इस प्रकरण में लागू नहीं होंगे। इसके अतिरिक्त, बीमाकर्ता का यह तर्क था कि प्रश्नाधीन वाहन के पास कोई परमिट नहीं था। इसके लिए "त्रिपिटक" के ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, कि किसी भी प्रकृति के परमिट का अस्तित्व दस्तावेजी साक्ष्य का प्रकरण है। बीमाधारक द्वारा यह साबित करने के लिए कुछ भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया है कि उसके पास वाहन का परमिट था। ऐसी स्थिति में, बीमाकर्ता पर जिम्मेदारी नहीं डाली जा सकती। अतः, अधिकरण के साथ-साथ उच्च न्यायालय ने निर्देशित किया था कि बीमाकर्ता को दावाकर्तागण को ब्याज सहित क्षतिपूर्ति राशि का संदाय करना होगा, इस शर्त सहित कि बीमाकर्ता वाहन स्वामी एवं वाहन चालक से इसे वसूलने का हकदार होगा। उक्त निर्देश स्वर्ण सिंह (पूर्वोक्त) तथा वसूली एवं भुगतान सिद्धांत से संबंधित अन्य प्रकरणों में व्यक्त सिद्धांतों के अनुरूप हैं।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

8. उभयपक्ष के अभिवचनों एवं प्रकरण में प्रस्तुत साक्ष्यों को विचार में रखते हुए, उपरोक्त निर्णय के आलोक में, यह स्पष्ट है कि यह साबित करने का भार वाहन स्वामी पर था कि वाणिज्यिक उपयोग या टैक्सी के रूप में पंजीकृत वाहन के पास परमिट था। परंतु इस संबंध में, वाहन स्वामी एवं वाहन चालक द्वारा न तो कोई अभिवचन किया गया एवं न ही कोई साक्ष्य प्रस्तुत किया गया।

9. इस प्रकार, वाहन स्वामी द्वारा साक्ष्य का भार नहीं उठाया गया है। अधिकरण द्वारा बीमा कंपनी पर डाला गया साक्ष्य का भार उचित नहीं पाया गया। बिना परमिट के वाहन चलाकर बीमा शर्तों का उल्लंघन किया गया है। अतः बीमा कंपनी क्षतिपूर्ति के संदाय के लिए प्राथमिक रूप से उत्तरदायी नहीं है। परंतु अपराध कारित करने वाला वाहन का अपीलार्थी-बीमा कंपनी द्वारा विधिवत बीमा किया गया था। अत: **अमृत पॉल सिंह (पूर्वोक्त)** के प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों के आलोक में यह निर्देशित किया जाता है कि बीमा कंपनी पहले दावाकर्तागण को प्रदत्त क्षतिपूर्ति की राशि का संदाय करेगी एवं पुनः उसे वाहन चालक व अपराध कारित करने वाला वाहन के पंजीकृत स्वामी से संयुक्त या पृथक-पृथक रूप से वसूल करेगी।

10. तदनुसार, अपील **आंशिक रूप से स्वीकार** की जाती है। आक्षेपित अधिनिर्णय उपरोक्त सीमा तक संशोधित माना जाता है और शेष शर्तें यथावत रहेंगी।

11. अधिकरण के अभिलेखों को इस आदेश की एक प्रतिलिपि सहित अनुपालनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई, यदि कोई हो, हेतु अविलंब प्रति प्रेषित किया जाए।

सही/–

(संजय कुमार जायसवाल)

न्यायाधीश

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयी एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur